न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 87/2018 **दायरा दिनांक : 19.06.2018**

उनवान

1— श्रीमती राजेश बाई उर्फ राजी बाई पुत्री स्वर्गीय श्री गजानन्द जी पत्नी श्री सुरेश जी शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बेसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— श्रीमती अनोख बाई पुत्री स्वर्गीय गजानन्द जी, पत्नी श्री छोटूलाल जी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बेसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती कमला बाई पुत्री स्वर्गीय गजानन्द जी, पत्नी श्री प्रमोद जी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 90/2018 **दायरा दिनांक : 19.06.2018**

उनवान

1— श्रीमती राजेश बाई उर्फ राजी बाई पुत्री स्वर्गीय श्री गजानन्द जी पत्नी श्री सुरेश जी शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बेसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— श्रीमती अनोख बाई पुत्री स्वर्गीय गजानन्द जी, पत्नी श्री छोटूलाल जी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बेसार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती कमला बाई पुत्री स्वर्गीय गजानन्द जी, पत्नी श्री प्रमोद जी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री चरण सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.07.2019

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या — 686/दावा/2017 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.04.2018 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट ने प्रतिवादी अपीलांट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बैसार की जमाबंदी सम्बवत 2072—75 की खाता संख्या 2 की खसरा नम्बर 712 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 713 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 किता की 9 बीघा 4 बिस्वा आराजी पक्षकारान के शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें वादी रेस्पोडेंट

का 1/3 हिस्सा है तथा वादी रेस्पोडेंट अपने हिस्से की 3 बीघा आराजी पर काश्त करती चली आ रही है । वादिनी रेस्पोडेंट के हिस्से की आराजी पर किसी को नाजायज कब्जा करने का अधिकार नहीं है । वादी ने अपने हिस्से की आराजी में फसल बो रखी है किन्तु प्रतिवादीगण अपीलांट फसल को जबरन काट लेने व आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है । इससे वादनी रेस्पोडेंट को नुकसान होगा इसलिए प्रतिवादी अपीलांट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये । वादग्रस्त आराजी शामलाती में होने से आराजी का विकास करने एवं लगान जमा कराने में कठिनाई आती है । अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री सादर फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजी में से वादिनी के 1/3 हिस्से का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादिनी के 1/3 हिस्से पर दखलअन्दाजी न करें । अधीनस्थ न्यायालय वादिनी का वाद स्वीकार कर निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.04.2018 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07.06.2018 पारित की जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 90/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाकर ग्राम बेसार तहसील खानपुर की खाता संख्या 2 की खसरा नम्बर 712 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 713 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 किता की 9 बीघा 4 बिस्वा कृषि आराजी के सम्बन्ध में विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलांट को सूचना दिये बिना ही, सम्मन पर उनकी व्यक्तिगत रूप से तामील हुये बिना ही निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त

होने योग्य है । प्रतिवादीगण अपीलांट के पिता गजानन्द की मृत्यु को कई वर्ष हो चुके हैं । प्रतिवादी अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादिनी रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । वादिनी रेस्पोडेंट कब्जा वापस प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुके हैं । वादिनी रेस्पोडेंट के तथाकथित हक हकूक समाप्त हो चुके हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.04.2018 निरस्त की जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.06.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 87/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत विभाजन आराजी डिक्री फरमाकर ग्राम बेसार तहसील खानपुर की खाता संख्या 2 की खसरा नम्बर 712 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 713 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 किता की 9 बीघा 4 बिस्वा का विभाजन किया जाकर वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 के 1/3 हिस्से में खसरा नमबर 712 की 3 बीघा 1 बिस्वा आराजी दक्षिण दिशा की दिये जाने का अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलांट को सूचना दिये बिना ही, एवं सुनवायी का अवसर प्रदापन किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी रेस्पोडेंट नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा होना मानकर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान टीनेन्सी बोर्ड आफ रेवेन्यु रूल्स 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट

का दावा स्वीकार कर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की, जिसे निरस्त की जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । रेस्पोडेंट खातेदार के रूप में दर्ज, तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्पष्ट है, भूमि एक ही किस्म की है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 87/2018 एवं 90/2018 खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.04.2018 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07.06.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा